शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्वपूर्ण

प्रेस–विज्ञप्ति

जनपद के समस्त निदेशक/संचालक/प्रबन्धक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या सी–346/स0क0/शिक्षा–अ/3/96/2020–21 दिनांक 17.06.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है, कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से ऑनलाइन मिलान किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आधार नम्बर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात ही छात्रवृत्ति आवेदन पत्र सबमिट हो सकेगा। छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि आदि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा। छात्रों का खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी0एफ0एम0एस0 से मैप होना चाहिये।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही की जानी है :–

1– सभी छात्रों के पास आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नहीं हैं वे प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लें।

2– जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नम्बर को मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों से खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लें।

3– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता–पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लें।

4– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।

5– अधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्व करा लें।

अतः अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को उपरोक्त वर्णित स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें, यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन पत्र भरने से वंचित रह जाते हैं, तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राजेश चौधरी)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
हापुड़।

कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हापुड़।

पत्रांक C-239 **/स0क0 /दशमो0 छा0/2020–21/ दिनांक –** 17.07. **2020**

प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निदेशक महोदय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हापुड़।
4. कुल सचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़।
6. संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7. जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड़ को इस आशय से कि अपने स्तर से भी जनपद की समस्त छात्रवृत्ति शिक्षण संस्थाओं को सूचित करने का कष्ट करें।
8. प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हापुड़ को सूचनार्थ प्रेषित।
9. प्राचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, हापुड़।को सूचनार्थ प्रेषित।
10. जिला सूचना अधिकारी हापुड़ को 06 प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
हापुड़।